खास-खबरें

यूनानी चिकित्सा में पीजी छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू

भोपाल। आयुष विभाग द्वारा मेनिट हिल्स आयुष परिसर में संचालित हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय महाविद्यालय में आज पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। प्राचार्य डॉ. मेहमूदा बेगम ने कहा कि तीन विषयों में पीजी कोर्स शुरू होने से राजधानी के मरीजों को यूनानी चिकित्सा का और बेहतर इलाज मिल सकेगा। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे यूनानी चिकित्सा क्षेत्र में नये अनुसंधान पर लगातार अध्ययन करें। कार्यक्रम को संचालन समिति अध्यक्ष डॉ. इफ्तेखार अहमद ने भी संबोधित किया। कॉलेज में 22 छात्रों को पीजी के लिये प्रवेश दिया गया है।

एमपी टॉस पोर्टल पर अनुसूचित जाति जनजाति छात्रवृत्ति 15 अप्रैल तक

भोपाल। एमपी टॉस पोर्टल पर अनुसूचित जाति, जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना अंतर्गत नवीन एवं नवीनीकरण के आवेदन एवं डाटा कम अपलोड होने के कारण आवेदन को निर्धारित तिथि 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। जिले की सभी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यो, संचालको को उक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कहा गया है। उनसे नियमानुसार आवास एवं छात्रवृत्ति के आवेदन तथा डाटा अपलोड कराने की व्यवस्था कराये जाने के लिए भी कहा गया है।

पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति हेतु प्रावधान

भोपाल। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिये राज्य छात्रवृत्ति योजना में बजट का प्रावधान किया गया है। योजना में कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को राज्य छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। विभाग की यह योजना वर्ष 2013-14 से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। योजना में कक्षा 6 से 8वीं तक पढ़ने वाले बालक को प्रति माह 20 रूपये और बालिका को 30 रूपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। कक्षा 9 एवं 10 में पढ़ने वाले पिछड़ा वर्ग के बालक को 30 रूपये प्रति माह और बालिका 40 रूपये प्रति माह की राशि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

अग्निवीर भर्ती ऑनलाइन परीक्षा 17 से 26 अप्रैल तक

भोपाल। अग्निवीर भर्ती के लिए 17 से 26 अप्रैल 2023 तक सेना भर्ती कार्यालय, भोपाल के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 9 जिलों भोपाल, बैतूल, छिन्दवाड़ा, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा के अभ्यार्थियों की आनॅलाइन परीक्षा ईडीसीआईएल द्वारा भोपाल में 3 केन्द्रों पर आयोजित होगी। आनॅलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आनॅलाइन जारी हो चुके है। परीक्षा केन्द्रों आईओएन डिजिटल जोन आईडीजेड ट्रिनिटी 1, श्री जयराम एजुकेशन सोसाइटी कोकटा बाईपास रोड, रायसेन रोड, भोपाल, डिजिटल जोन आईडीजेड ट्रिनिटी 2 हेडवे 2 कोकटा बाईपास रोड, रायसेन रोड भोपाल, आईओएन डिजिटल जोन आईडीजेड गांव आदमपुर रायसेन रोड, भोपाल पर होंगी। अभ्यार्थी अपना एडमिट कार्ड भारतीय सेना की साईट से डाउनलोड कर सकते है। अभ्यार्थियों की परीक्षा केन्द्र का पता और परीक्षा का समय एडमिट कार्ड पर चिन्हित हैं। सभी अभ्यार्थियों को अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, फोटो आईडी प्रुफ साथ में परीक्षा केन्द्र पर लाना अनिवार्य होगा।

आरा-मशीनों के लायसेंस अब पांच साल में होंगे नवीनीकरण

भोपाल। प्रदेश में स्थापित आरा-मशीनों के लिये 05 साल की अवधि में लायसेंस नवीनीकरण कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अभी तक 3 साल में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य था। राज्य शासन के वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम-1984 में यह संशोधन किया गया है। लायसेंस नवीनीकरण के लिये 2500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है।

अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक होंगी ग्राम सभाएं

भोपाल। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ऋतुराज सिंह ने बताया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 14 से 18 अप्रैल तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में बेटी बचाओ, बेटी पढाओं योजना, लाडली बहना योजना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, स्कूलों और ऑगनवाडी केन्द्रो में स्वच्छ जल की उपलब्धता, ग्राम गौरव दिवस, शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता तथा नल-जल योजना के रख-रखाव की व्यवस्था, कुपोषण मुक्तग्राम, शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी ग्राम सभा के समक्ष रखना, विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं में लाभ लेने वाले हितग्राहियों की सूचियों का वाचन एवं अन्त्योदय सर्वे पर चर्चा की जाएगी।

विशेष दुकान या संस्थान से स्कूल सामग्री लेने के निर्देश पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने सभी एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी को दिए निर्देश, जिले में धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश क्रियाशील है

भोपाल (काप्र)।

कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए है कि जिले में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हैं जिसके अंतर्गत कोई भी शिक्षण संस्थान, स्कूल, विद्यालय अपने विद्यार्थियों को किसी विशेष संस्थान, दुकान से पुस्तक, किताब और स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए दबाव नहीं डालेगा और ना ही ऐसे किसी भी प्रकार के निर्देश देगा।

यदि किसी स्कूल,संस्थान के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसके प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में यह भी सुनिश्चित करें कि शिक्षण संस्थानों द्वारा बच्चों और पालकों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाए । यदि किसी भी शिक्षण संस्थान द्वारा इस प्रकार का कोई निर्देश या समान खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उन संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने बताया कि तत्कालीन कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा फरवरी में ही इस इस संबंध में धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए थे। धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार भोपाल जिले में शासकीय, अशासकीय विद्यालय, कालेज संचालित है, इनमें अशासकीय स्कूलों, कालेजों, शैक्षणिक संस्थाओं में काफी बड़ी संख्या में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं । विभिन्न सूत्रों से जानकारी में आया है, कि शिक्षण सत्र प्रारंभ होने पर कई अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन द्वारा शाला में पढ़ने वाले विधार्थियों को उनके द्वारा बताई गई विशेष दुकान से ही पाठ्य-पुस्तकें, यूनिफार्म तथा अन्य सामग्री क्रय करने के लिये बाध्य किया जाता है तथा कई स्कूलों में स्वयं स्कूल प्रबंधन द्वारा पुस्तकें एवं यूनिफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय कराई जाने के सम्बंध में भी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस तरह की गतिविधियों के कारण इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों एवं उनके अभिभावकों में रोष

के होने के फलस्वरूप अप्रिय स्थिति एवं तनाव हो सकता है, जिससे कभी भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भोपाल जिले के समस्त अशासकीय विद्यालयों / शैक्षणिक संस्थाओं में पुस्तकें एवं यूनिफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय कराई जाने तथा किसी विशेष दुकान से पाठ्यपुस्तकें यूनीफार्म तथा अन्य सामग्री क्रय करने हेतु बाध्य करने पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है । जन सामान्य के हित में समस्त अशासकीय विद्यालयों में पुस्तकें एवं यूनिफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय कराई जाने पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश किए गए थे।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया था कि भोपाल जिले में संचालित समस्त अशासकीय विद्यालय, जो कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आई.सी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध हैं। इन समस्त विद्यालयों को मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 02 दिसम्बर 2020 स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल में उल्लेखित निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सभी अशासकीय विद्यालयों के लिये यह अनिवार्य है कि वे आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व लेखक एवं प्रकाशक के नाम तथा मूल्य के साथ कक्षावार पुस्तकों की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करें और शाला के विद्यार्थियों को ऐसी सूची मांगने पर उपलब्ध कराई जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकगण इन पुस्तकों को उनकी सुविधा अनुसार खुले बाजार से क्रय कर सकें। प्रत्येक स्कूल प्रबंधक / प्राचार्य अपने स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगने वाली पाठ्य पुस्तकों तथा प्रकाशक की जानकारी को वेबसाइट पर अनिवार्यत: प्रेषित करेंगें ।

किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नहीं होना चाहिये। विद्यालय के सूचना पटल पर यह भी अंकित किया जाए कि किसी दुकान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता नहीं है। कहीं से भी पुस्तकें, यूनिफार्म व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय की जा सकती है। पुस्तकों के अतिरिक्त शालाओं द्वारा यूनीफार्म, टाई, जूते, कापियां आदि भी उन्हीं की शालाओं से उपलब्ध, विक्रय कराने का प्रयास नहीं किया जाएगा। विद्यालय की स्टेशनरी, यूनिफार्म पर विद्यालय का नाम प्रिन्ट करवाकर दुकानों से क्रय करने अथवा एक विशिष्ट दुकान से यूनिफार्म, पाठ्यपुस्तकें बेचना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित एसडीएम एवं जिला शिक्षा अधिकारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करायेंगे।

आरएनटीयू के वार्षिकोत्सव 'रिदम2के23' का आगाज

भोपाल(काप्र)।

विद्यार्थियों को अनुशासन और समय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें एक हॉबी अपने जीवन में अवश्यक रखनी चाहिए। विद्यार्थियों को किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। यह बात रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में डॉ. अदिती चतुर्वेदी वत्स, प्रो-चांसलर, आरएनटीयू ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कही। मौका था विश्वविद्यालय के स्टूडेंट एक्टिविटी काउंसिल (सैक) के वार्षिकोत्सव 'रिदम 2के23' के शुभारंभ अवसर का। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट एक्टिविटी काउंसिल के छात्र इस आयोजन की तैयारी करते हैं। सीनियर्स अपने जूनियर छात्रों को भी सिखाते हैं कि कैसे सफलतापूर्वक कार्यक्रम किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस पांच दिवसीय रिद्म 2023 के अंतर्गत 13 अप्रैल को बालीवुड के सुप्रसिद्ध कलाकार आशीष विद्यार्थी विवि के विद्यार्थियों से रुबरु होंगे। 14 अप्रैल को एनुवल फंक्सन आयोजित किया जाएगा। वहीं समापन 15 अप्रैल को सुप्रसद्धि बालीवुड सिंगर दर्शन रावल का सेलेब्रिटी नाइट के साथ किया जाएगा। कुलपति डॉ. ब्रम्ह प्रकाश पेठिया ने विद्यार्थियों को इस आयोजन के

सफलतापूर्वक कराने की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को कार्यक्रम से सीख लेते हुए उसे अपने जीवन में उतारने पर जोर दिया। शुभारंभ अवसर पर विद्यार्थियों सहित फैकल्टी को भी फिट रहने के लिए सर्टिफाइड ट्रेनर सतीश कुमार, पूर्व रणजी प्लेयर ने शिरकत की। इस अवसर पर डॉ. संगीता जौहरी, प्रो-वाइस चांसलर आरएनटीयू, डीन अकेडमिक डॉ. संजीव गुप्ता, डीएसडब्ल्यू डॉ. अंकित पंडित, सभी विभागों के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

वार्ड 53 हाई मास्ट लाइट से जगमगाया

भोपाल(काप्र)।

विधायक श्रीमती कृष्णा गौर ने पार्षद प्रताप बारे की उपस्थिति में 8 स्थानों पर स्थापित हाई मास्ट लाईटों का लोकार्पण किया साथ ही सागर रॉयल होम्स एवं आशिमा मॉल क्षेत्र में सीवेज नेटवर्किंग कार्यों हेतु भूमिपूजन भी किया। विधायक श्रीमती गौर ने रविवार देर शाम जाटखेड़ी 55 झुग्गी क्षेत्र, महिन्द्रा वुडन कालोनी, हरदोस बाबा जाटखेड़ी, संजय नगर जाटखेड़ी, निरूपम रॉयल पाम, भेल संगम कालोनी, बाबा साहेब मैदान ओम नगर एवं हनुमान मंदिर के पास ओम नगर में स्थापित हाई मास्ट लाईटों का विधिवत पूजा-अर्चना एवं स्विच आन कर

लोकार्पण किया। इससे पहले श्रीमती गौर ने होशंगाबाद रोड स्थित सागर रॉयल होम्स में सीवेज संबंधी कार्यों हेतु भूमिपूजन भी किया। उक्त अवसरों पर महापौर परिषद के सदस्य जीतेन्द्र शुक्ला, जोन अध्यक्ष श्रीमती शीला पाटीदार, पार्षद श्रीमती अर्चना परमार सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक मौजूद थे।

भोपाल बाइसिकल राइड्र्स ग्रुप ने उठाया रक्तदान का बीड़ा

***भोपाल।** आजकल की भागदौड भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपनी सेहत को नजर अंदाज करते चल रहा है, वहीं राजधानी भोपाल में कुछ ऐसे भी हैं जो लोगों को नियमित जीवनशैली के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। भोपाल को साइकिल सिटी बनाने का संकल्प के साथ साथ भोपाल बाइसिकल राइडर्स ग्रुप का नाम जहां साइक्लिंग के साथ स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है, वहीं इस ग्रुप द्वारा एक और सकारात्मक पहल की जा रही है जिसमें ग्रुप के सदस्य साइक्लिंग ही नहीं रक्तदान का बीड़ा उठा रहे हैं जो एक अच्छा और मानवता का कार्य है। संकट की घड़ी में जरूरत पड़ने पर इस ग्रुप के मेंबर रक्तदान करते हैं। ग्रुप के फाउंडर मनीष भदौरिया बताते है हमारा ग्रुप साइकिलिंग और फिटनेस को लेकर लोगों को जागरूक करता है।*

राज्य संग्रहालय में तीन दिवसीय कार्यशाला आज से

भोपाल। संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, राज्य संग्रहालय के सभागार में 11 से 13 अप्रैल तक तीन दिवसीय कार्यशाला होगी। पुरातत्वीय अधिकारी डॉ. रमेश यादव ने बताया कि कार्यशाला में निविदाकारों के साथ राज्य संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण एवं मंदिर पुनर्स्थापन संबंधी चर्चा कर मार्गदर्शन दिया जायेगा।

होम्योपैथी में जनसामान्य के विश्वास को मजबूत करें: किदवई

भोपाल (काप्र)।

प्रमुख सचिव आयुष फैज अहमद किदवई ने कहा कि नये अनुसंधान कर होम्योपैथी का जन-सामान्य में विस्तार किये जाने की जरूरत है। उन्होंने होम्योपैथी के क्षेत्र में हो रहे नये कार्यो को भी जनता के सामने लाये जाने पर जोर दिया।

श्री किदवई आज भोपाल के गवर्मेंट होम्योपैथी महाविद्यालय में विश्व होम्योपैथी दिवस पर हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री किदवई ने होम्योपैथी के जनक सैम्यूल हैनीमेन की 268वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर आयुक्त आयुष श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर भी मौजूद थी। प्रमुख सचिव आयुष ने कहा कि होम्योपैथी के प्रेक्टिशनर की कार्य क्षमता में भी लगातार अपडेट किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि

होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन और सोरायसिस के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य हो रहा है। जनजातीय क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं, जो सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश देखा गया है कि जब मरीज चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों से निराश हो जाता है, तब वह होम्योपैथी की तरफ बढ़ता है। प्रमुख सचिव ने कहा कि होम्योपैथी से जिन मरीजों का बेहतर उपचार किया गया है, उनके विचार जन-सामान्य के बीच लाये जाने की आवश्यकता है। ऐसा करके होम्योपैथी के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। आयुक्त आयुष श्रीमती वायंगणकर ने कहा कि प्रदेश में होम्योपैथी चिकित्सा की 213 डिस्पेंसरी संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में होम्योपैथी के फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के आयुष ग्रामों में होम्योपैथी के ओर विस्तार किये जाने पर जोर दिया। कार्यक्रम को डॉ. पॉल, प्राचार्य डॉ. एस.के. मिश्रा, डॉ. परिहार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में डॉ. जूही गुप्ता ने बताया कि सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी।

प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाने का आदेश जारी

भोपाल (काप्र)। उद्यानिकी राज्यमंत्री भारत सिंह कुशवाह ने मुख्यमंत्री चौहान का महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्म-दिवस को पूरे प्रदेश में हर वर्ष समारोहपूर्वक मनाने के निर्णय पर आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस निर्णय से समाज को बड़ी सौगात दी है। श्री कुशवाह ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने समग्र समाज के लिये विशेषकर समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उल्लेखनीय है कि संस्कृति विभाग ने प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पूरे प्रदेश में मनाने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिबा फुले के जन्म-दिवस को प्रतिवर्ष शासकीय स्तर पर समारोह पूर्वक मनाने की घोषणा की थी। श्री कुशवाह ने महात्मा ज्योतिबा फुले के शिक्षा के क्षेत्र में दिये योगदान को स्मरण करते हुए दमोह के शासकीय सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नाम शासकीय महात्मा ज्योतिबा फुले सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करने पर भी मुख्यमंत्री का आभार माना है। हाल ही में श्री चौहान की घोषणा के अनुरूप दमोह के स्कूल का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले किया गया है। श्री कुशवाह ने महात्मा ज्योतिबा फुले एवं माता सावित्री बाई फुले की जीवनी, कार्यों एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के संबंध में उनके विचारों को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिये भी मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार माना है। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले ने सबसे पहले समाज में शिक्षा की रोशनी की थी।

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-2 भोपाल

आम सूचना

अयोध्या नगर फेस-5 पार्ट-2 हाऊसिंग बोर्ड कालोनी भोपाल में भवन क्रमांक एल.आई.जी. 597 मण्डल द्वारा श्री पुनीत कुमार तिवारी आत्मज श्री अशोक कुमार तिवारी के नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 04.06.2015 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, परिचय पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त सम्पत्ति श्रीमती राजकुमारी तिवारी पत्नी श्री शशि शेखर प्रसाद तिवारी के नाम पर हस्तांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं एवं उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 18.3.2023 को क्रेता के पक्ष में दस्तावेज पंजीकृत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावज के आधार पर उक्त सम्पत्ति श्रीमती राजकुमारी तिवारी पत्नी श्री शशि शेखर प्रसाद तिवारी के नाम हस्तांतरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी,
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-2 भोपाल

1135

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-2 भोपाल

आम सूचना

सेटेलाइट प्लाजा व्यावसायिक परिसार अयोध्या नगर हाऊसिंग बोर्ड कालोनी भोपाल में दुकान क्रमांक 03 (भूतल) मण्डल द्वारा श्री कलिंग ओबेराय आत्मज स्व. श्री सत्यपाल ओबेराय एवं श्रीमती माला ओबेराय पत्नी श्री कलिंग ओबेराय के संयुक्त नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय बिलेख दिनांक 19.08.2011 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्रीमती माला ओबेराय पत्नी श्री कलिंग ओबेराय द्वारा श्री कलिंग ओबेराय आत्मज स्व. श्री सत्यपाल ओबेराय को मुख्तारनामा उप पंजीयक कार्यालय भोपाल दिनांक 09.12.2010 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री कलिंग ओबेराय आत्मज स्व. श्री सत्यपाल ओबेराय मुख्तारनामा की हैसियत से दुकान का विक्रय विलेख दिनांक 29.3.2023 को उप पंजीयक कार्यालय से निष्पादित कराकर श्रीमती अर्चना कनाठे पत्नी श्री नरेन्द्र कनाठे को विक्रय कर दिया गया। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, परिचय पत्र, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त सम्पत्ति श्रीमती अर्चना कनाठे पत्नी श्री नरेन्द्र कनाठे के नाम हस्तांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त सम्पत्ति श्रीमती अर्चना कनाठे पत्नी श्री नरेन्द्र कनाठे के नाम हस्तांतरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी,
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-2 भोपाल

1136

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-2 भोपाल

आम सूचना

अयोध्या एक्सटेंशन हाऊसिंग बोर्ड कालोनी भोपाल में भूखण्ड क्रमांक एच.आई.जी. डी/एच-28 मण्डल द्वारा (1) श्रीमती रंजना राय पत्नी श्री तेजबहादुर राय (2) श्री तेजबहादुर राय आत्मज श्री पंचवीर राय एवं (3) श्रीमती रत्नेश शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (4) श्री राहुल शर्मा आत्मज श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के संयुक्त नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 14.09.2021 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। (1) श्रीमती रंजना राय पत्नी श्री तेजबहादुर राय (2) श्री तेजबहादुर राय आत्मज श्री पंचवीर राय द्वारा भवन से अपने नाम का हक त्याग का पंजीयन कार्यालय से दिनांक 17.09.2021 को पंजीकृत कराया गया है। पंजीकृत हक त्याग के आधार पर (3) श्रीमती रत्नेश शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एवं (4) श्री राहुल शर्मा आत्मज श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड अपने संयुक्त नाम पर किए जाने हेतु आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति से (1) श्रीमती रंजना राय पत्नी श्री तेजबहादुर राय एवं (2) श्री तेजबहादुर राय आत्मज श्री पंजवीर राय का नाम विलोपित करते हुए उक्त श्रीमती रत्नेश शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एवं श्री राहुल शर्मा आत्मज श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के संयुक नाम पर किए जाने की कार्यवाही हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी,
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-2 भोपाल

1137

न्यायालय अपर तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त भोपाल
(पुराना जिला पंचायत भवन जिला भोपाल)
रा.प्र.क्र. 0004/अ-6/2023-24

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका (1) रमेशलाल जोधानी आ. स्व. श्री भगवानदास जोधानी नि. म.नं. 21 नूपुरकुंज ई-3 अरेरा कालोनी, 2. सुरेश कुमार जोधानी आ. स्व. श्री भगवानदास निवासी म.नं. 16 मन्नीपुरम चार इमली भोपाल द्वारा ग्राम बैरागढ़ कलां तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 6/1, 5/2, 8/1/1, 8/2/1, 9/2 का अंश भाग रकबा 0.25 एकड़ भूमि का नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन पेश किया है जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विधिक कार्यवाही किए जाने पर यदि किसी व्यक्ति/संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन से 07 दिवस के भीतर स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया

अपर तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त भोपाल

1138

न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त भोपाल
(पुराना जिला पंचायत भवन जिला भोपाल)
रा.प्र.क्र. 0003/अ-3/2022-23
क्रमांक /नजूल/बैरा.वृत्त/2022 भोपाल दि. 10.4.23

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मेसर्स इनफिनिटी डेवलपर्स हाईट, प्रदीप नारियानी निवासी शहर ने बटान करने विषयक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गोंदरमऊ तहसील हुजूर भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 516/1/1/क, 516/1/1/1 रकबा 0.910 हेक्टेयर भूमि में से 0.2291 हेक्टेयर बटान करने का निवेदन किया है, जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदित भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में मेसर्स इनफिनिटी के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। अत: उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विधिक कार्यवाही किए जाने पर यदि किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन से 07 दिवस के भीतर स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तत्पश्चात प्राप्त आपत्ति ग्राह्य योग्य नहीं होगी। यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10.4.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी।

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ वृत्त भोपाल

1139

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मैकेनिकल खण्ड, अरविन्द विहार
लहारपुर डेम के समीप, बाग मुंगालिया भोपाल

Phone No. 0755- 2930001, E-Mail I.D. emphbpl@mp.nic.in

क्रमांक 1186/तक/का.यं./लो.स्वा./मैके. खण्ड/ भोपाल/ 2023/दिनांक 6.4.2023
निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 02 (द्वितीय आमंत्रण)/2023-24 दिनांक 6.4.2023
ऑनलाईन निविदा क्रमांक 2023_PHED_265797_1 दिनांक 6.4.2023

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग मैकेनिकल खण्ड भोपाल के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान रायसेन जिले में विभागीय ड्रिलिंग रिंग मशीनों पर आवश्यकतानुसार हैवी लाईसेंसधारी पुरुष वाहन चालक (कुशल), पुरुष मेसन (अर्धकुशल) तथा पुरुष मजदूर (अकुशल) उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन डिजिटली हस्ताक्षरित निविदा दिनांक 17.04.2023 साय 17.00 बजे तक अनुभवी ठेकेदार से प्रपत्र (Annexure 2.10) पर आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु अभिलेखों जैसे प्रतिभूति राशि पावती, उक्त कार्य हेतु केन्द्रीय पंजीयन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग में पंजीयन का प्रमाण पत्र इत्यादि (निविदा पात्रतानुसार) निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से ऑनलाईन अपलोड करना होगा। निविदा दिनांक 18.04.2023 को सायं 17.15 बजे ऑनलाईन खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन भुगतान करने के उपरांत वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन क्रय किये जा सकते है। परिशिष्ट/संशोधन केवल वेबसाईट पर ही प्रकाशित किया जावेगा।

कार्य का विवरण	टेण्डर के प्राक्कलन की अनुमानित लागत राशि रुपये	धरोहर राशि रुपए	टेण्डर का मूल्य रुपए	टेण्डर बिक्री की तिथि	टेण्डर खुलने तिथि	कार्य अवधि
मैकेनिकल खण्ड भोपाल के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान रायसेन जिले में विभागीय ड्रिलिंग रिंग मशीनों पर आवश्यकतानुसार हैवी लाइसेंसधारी पुरुष वाहन चालक (कुशल) पुरुष मेसन (अर्धकुशल) तथा पुरुष मजदूर (अकुशल) उपलब्ध कराया जाना)	9,14,000.00	18280.00	2,000.00	10.4.23 से 17.04.23 17.00 तक	18.4.23 सायं17.15 बजे	अनुबंध दिनांक से 08 माह

निविदा से संबंधित अन्य समस्त शर्तें एवं विवरण वेबसाईट पर https://www.mptenders.gov.in निविदा क्रमांक 2023_PHED_265797_1 दिनांक 06.04.2023 उपलब्ध है।

जी. 11321/23 **कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा. यां. मैकेनिकल खण्ड भोपाल**